

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0-33/11KV लाईन जीर्णोद्धार-28/2017
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के० भी०, 11 के० भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः 46.7289512 करोड़ (छियालीस करोड़ बहत्तर लाख नवासी हजार पाँच सौ बारह) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3490 दिनांक-20.11.2017 द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के० भी०, 11 के० भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3490 दिनांक-20.11.2017 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-3834 दिनांक-20.12.2017 द्वारा 400.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-365 दिनांक-07.02.2019 द्वारा 186.3732 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-1220 दिनांक-27.05.2019 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2084 दिनांक-05.08.2019 द्वारा 125.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2336 दिनांक-02.09.2019 द्वारा 150.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2601 दिनांक-09.10.2019 द्वारा 140.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-394 दिनांक-14.02.2020 द्वारा 65.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 1266.3732 करोड़ रुपये साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि 1266.3732 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा 50.00 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः 46.7289512 करोड़ (छियालीस करोड़ बहत्तर लाख नवासी हजार पाँच सौ बारह) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि में से 27.5720512 करोड़ (सत्ताईस करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार पाँच सौ बारह) रुपये मांग संख्या-10, बजट मुख्य शीर्ष-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण एवं वितरण, लघु शीर्ष-789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना विपत्र कोड-10-4801057890102 से एवं 19.1569 करोड़ (उन्नीस करोड़ पंद्रह लाख उनहत्तर हजार) रुपये मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900106 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200 047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या-PLA275/CFMS खाता संख्या-PTSPLA017 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०-33/11 KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०-33/11 KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 पृष्ठ संख्या-97/टि० पर दिनांक-18.03.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 859

/पटना, दिनांक-18/03/2020

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।